

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

गया/नालंदा/पटना/नवादा/पूर्वी चम्पारण/मधेपुरा/सुपौल/जमुई/मुजफ्फरपुर/सीवान/
शेखपुरा/सीतामढ़ी/बाँका/पूर्णियाँ/वैशाली/औरंगाबाद/सारण/समस्तीपुर/मुंगेर/बेगूसराय/
मधुबनी/भागलपुर/सारण/दशमंगा/जहानाबाद/शिवहर/अरवल/अररिया।

पटना-15, दिनांक - 17.03.18

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल ₹1001.747 लाख (दस करोड़ एक लाख चौहत्तर हजार सात सौ रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष - 02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन एवं तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष - 101- आनुग्रहिक राहत।

उपशीर्ष - 0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या 39 विस्तृत शीर्ष - 37- अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष- 01- अनुग्रह अनुदान
(राशि रूपये लाख में)

क्र 0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गया	10	1	0	305.413 (तीन करोड़ पाँच लाख इकतालीस हजार तीन सौ)	40.043 (चालीस लाख चार हजार तीन सौ)	345.456 (तीन करोड़ पैतालीस लाख पैतालीस हजार छः सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात
2	नालंदा	8	5	0	308.555 (तीन करोड़ आठ लाख पचपन हजार पाँच सौ)	32.215 (बत्तीस लाख इक्कीस हजार पाँच सौ)	340.77 (तीन करोड़ चालीस लाख सतहत्तर हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात
3	पटना	10	0	2	424.127 (चार करोड़ चौबीस लाख बारह हजार सात सौ)	40.60 (चालीस लाख साठ हजार)	464.727 (चार करोड़ चौसठ लाख बहत्तर हजार सात सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात

4	नवादा	5	0	0	100.00 (एक करोड़)	20.00 (बीस लाख)	120.00 (एक करोड़ बीस लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
5	पूर्वी चम्पारण	8	3	0	276.172 (दो करोड़ छिहत्तर लाख सतरह हजार दो सौ)	32.118 (बत्तीस लाख अठारह हजार आठ सौ)	308.29 (तीन करोड़ आठ लाख उनतीस हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
6	मधेपुरा	6	0	1	253.079 (दो करोड़ तिरपन लाख सात हजार नौ सौ)	24.343 (चौबीस लाख चौतीस हजार तीन सौ)	277.422 (दो करोड़ सातहत्तर लाख बेयालीस हजार दो सौ)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
7	सुपौल	8	0	0	112.127 (एक करोड़ बारह लाख बारह हजार सात सौ)	32.00 (बत्तीस लाख)	144.127 (एक करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार सात सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
8	जमुई	6	0	0	132.78 (एक करोड़ बत्तीस लाख अठहत्तर हजार)	24.00 (चौबीस लाख)	156.78 (एक करोड़ छप्पन लाख अठहत्तर हजार)	पानी में डूबने से, वज्रपात
9	मुजफ्फरपुर	10	0	0	104.00 (एक करोड़ चार लाख)	40.00 (चालीस लाख)	144.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात
10	सीवान	3	0	0	112.591 (एक करोड़ बारह लाख उनसठ हजार एक सौ)	12.00 (बारह लाख)	124.591 (एक करोड़ चौबीस लाख उनसठ हजार एक सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
11	शेखपुरा	4	0	0	88.00 (अठ्ठासी लाख)	16.00 (सोलह लाख)	104.00 (एक करोड़ चार लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
12	सीतामढ़ी	19	0	0	88.987 (अठ्ठासी लाख अनठानवे हजार सात सौ)	76.00 (छिहत्तर लाख)	164.987 (एक करोड़ चौसठ लाख अनठानवे हजार सात सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
13	बाँका	6	0	0	104.00 (एक करोड़ चार लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	128.00 (एक करोड़ अठ्ठाईस लाख)	वज्रपात, पानी में डूबने से

14	पूर्णियाँ	16	0	0	368.086 (तीन करोड़ अड़सठ लाख आठ हजार छः सौ)	64.00 (चौसठ लाख)	432.086 (चार करोड़ बत्तीस लाख आठ हजार छः सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से, वज्रपात
15	वैशाली	3	0	0	189.52 (एक करोड़ नवासी लाख बावन हजार)	12.00 (बारह लाख)	201.52 (दो करोड़ एक लाख बावन हजार)	पानी में डूबने से, वज्रपात
16	औरंगाबाद	21	7	0	129.093 (एक करोड़ उनतीस लाख नौ हजार तीन सौ)	84.301 (चौरासी लाख तीस हजार एक सौ)	213.394 (दो करोड़ तेरह लाख उनचासी हजार चार सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
17	सहरसा	2	0	0	333.633 (तीन करोड़ तेतीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ)	8.00 (आठ लाख)	341.633 (तीन करोड़ इकतालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ)	पानी में डूबने से
18	समस्तीपुर	10	0	0	152.90 (एक करोड़ बावन लाख नब्बे हजार)	40.00 (चालीस लाख)	192.90 (एक करोड़ बानवे लाख नब्बे हजार)	पानी में डूबने से, वज्रपात
19	मुंगेर	10	0	0	44.00 (चौवालीस लाख)	40.00 (चालीस लाख)	84.00 (चौरासी लाख)	पानी में डूबने से, वज्रपात, रेल दुर्घटना
20	बेगूसराय	9	0	0	368.127 (तीन करोड़ अड़सठ लाख बारह हजार सात सौ)	36.00 (छत्तीस लाख)	404.127 (चार करोड़ चार लाख बारह हजार सात सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
21	मधुबनी	11	0	0	152.00 (एक करोड़ बावन लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)	196.00 (एक करोड़ छियानवे लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
22	भागलपुर	14	0	0	232.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख)	56.00 (छप्पन लाख)	288.00 (दो करोड़ अठासी लाख)	पानी में डूबने से
23	सारण	30	0	0	244.00 (दो करोड़ चौवालीस लाख)	120.00 (एक करोड़ बीस लाख)	364.00 (तीन करोड़ चौसठ लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से, वज्रपात
24	दरभंगा	9	0	0	128.00 (एक करोड़ अठ्ठाईस लाख)	28.00 (अठ्ठाईस लाख)	156.00 (एक करोड़ छप्पन लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, अतिवृष्टि वज्रपात

25	जहानाबाद	4	0	0	268.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख)	16.00 (सोलह लाख)	284.00 (दो करोड़ चौसतीस लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
26	शिवहर	5	0	0	96.00 (छियागवे लाख)	20.00 (बीस लाख)	116.00 (एक करोड़ सोलह लाख)	पानी में डूबने से
27	अरवल	4	0	0	60.30 (साठ लाख तीस हजार)	16.00 (सोलह लाख)	76.30 (छिहत्तर लाख तीस हजार)	पानी में डूबने से
28	अररिया	1	1	0	125.073 (एक करोड़ पच्चीस लाख सात हजार तीन सौ)	4.127 (चार लाख बारह हजार सात सौ)	129.20 (एक करोड़ उनतीस लाख बीस हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
	कुल योग	250	17	3	5303.563 (तिरपन करोड़ तीन लाख छप्पन हजार तीन सौ)	1001.747 (दस करोड़ एक लाख चौहत्तर हजार सात सौ)	6305.31 (तिरसठ करोड़ पाँच लाख इकतीस हजार)	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 3784 दिनांक 19.12.17, 3786 दिनांक 19.12.17, 3659 दिनांक 08.12.17, 3849 दिनांक 22.12.17, 3660 दिनांक 08.12.17, 3304 दिनांक 11.11.17, 3210 दिनांक 13.11.17, 3785 दिनांक 19.12.17 एवं 3306 दिनांक 11.11.17 /नालंदा के पत्रांक 1045 दिनांक 13.10.17 एवं 1048 दिनांक 13.10.17 /पटना के पत्रांक 107 दिनांक 24.01.18 एवं 200 दिनांक 21.02.18/नवादा के पत्रांक 440 दिनांक 20.12.17, 66 दिनांक 17.02.18 एवं 67 दिनांक 17.02.18 /पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 691 दिनांक 28.11.17 /मधेपुरा के पत्रांक 54 दिनांक 18.01.18, 33 दिनांक 11.01.18, 32 दिनांक 11.01.18 एवं 51 दिनांक 18.01.18/सुपौल के पत्रांक 65-2 दिनांक 19.01.18, 18-2 दिनांक 04.01.18 एवं 1655-2 दिनांक 22.12.17 /जमुई के पत्रांक 15 दिनांक 08.01.18, 245 दिनांक 22.12.17 एवं 254 दिनांक 16.12.17 /गुजफरपुर के पत्रांक 122 दिनांक 17.01.18, 121 दिनांक 17.01.18, 199 दिनांक 03.02.18, 194 दिनांक 01.02.18 एवं 274 दिनांक 20.02.18 /सीवान के पत्रांक 23 दिनांक 12.01.18/शेखपुरा के पत्रांक 53 दिनांक 08.03.18/सीतामढी के पत्रांक 1144 दिनांक 09.11.17/बाँका के पत्रांक 33 दिनांक 28.01.18 एवं 32 दिनांक 28.01.18/पूर्णियाँ के पत्रांक 232 दिनांक 21.02.18/वैशाली के पत्रांक 1072 दिनांक 05.12.17, 1111 दिनांक 26.12.17 एवं 1110 दिनांक 26.12.17/औरंगाबाद के पत्रांक 31 दिनांक 12.01.18/सहरसा के पत्रांक 02-1 दिनांक 04.01.18 एवं 07-1 दिनांक 08.01.18/समरतीपुर के पत्रांक 164 दिनांक 27.02.18/मुंगेर के पत्रांक 544 दिनांक 29.11.17/बेगूसराय के पत्रांक 713 दिनांक 30.12.17/मधुबनी के पत्रांक 64 दिनांक 23.01.18/भागलपुर के पत्रांक 132 दिनांक 13.03.18/सारण के पत्रांक 1345 दिनांक 30.12.17 एवं 1344 दिनांक 30.12.17/दरभंगा के पत्रांक 1442 दिनांक 12.12.17/जहानाबाद के पत्रांक 2279 दिनांक 22.12.17/शिवहर के पत्रांक 458 दिनांक 28.11.17/अरवल के पत्रांक 256 दिनांक 19.12.17/अररिया के पत्रांक 1488 दिनांक 09.12.17 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'दुर्घटना राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। घायलों, मृत व्यक्तियों के आश्रितों एवं पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।

5. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।